हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भंवरसिह बनाम भोपालसिह धारा 136 प्रकरण सख्या 79/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 48/2020 **भंवरसिह बनाम भोपालसिह** अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम राजनगर के खसरा सख्या 157 रकबा 15. 14 बिस्वा ग्राम खाराबेरा भीमावतान के खसरा नम्बर 606/1 रकबा 08 बीधा खसरा नम्बर 621 रकबा 07.06 बीधा खसरा नम्बर 703 रकबा 02. 17 बीधा खसरा सख्या 706 रकबा 05.17 बिस्वा खसरा नम्बर 765 रकबा 14.02 बिस्वा व ग्राम देवनगर के खसरा सख्या 243/1 रकबा 12.05 मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अपना नाम मनोहरसिह के स्थान पर भवरसिह किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमाक/भूअ/2022/2522 दिनाक 14.06. 2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी सवत 2071–74 मे प्रार्थी का नाम ग्राम राजनगर के खसरा सख्या 157 व ग्राम खाराबेरा भीमावता के खसरा सख्या 606/1, 621, 703, 706, 765 कुल रकबा 38.02 बीधा व ग्राम देवनगर के खसरा सख्या 243/1 रकबा 12.05 बीधा मे सहखातेदारी मे मनोहरसिह पि, मगसिह जाति राजपुत सा खाराबेरा भिमावता खातेदार मे दर्ज है तथा उक्त खसरे मे मनोहरसिह का हिस्सा मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा गुडा विश्नोइयान मे रहन दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार उक्त खसरो मे भूलवश से मनोहरसिह दर्ज होना बताया गया व प्रार्थी का नाम मनोहरसिह जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण सख्या 653 दर्ज हुआ तहसीलदार द्वारा भवरसिह व मनोहरसिह एक ही व्यक्ति होना बताया गया। व शुद्धि की अनुशषा की गई। लेकिन इस प्रकरण मे विवादग्रस्त खसरे वर्तमान मे रहन दर्ज होने से मरूधर ग्रामीण बैक शाखा गुडा विश्नोइयान के नाम से दर्ज है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अत– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	